# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)
राजस्व वाद संख्या 93/2021 **RCMS 2021/379**

**वादी**

1. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चितावा तहसील कुचामनसिटी जरिये बजरंगलाल जांगिड़ प्रधानाध्यापक रा.बा.उ.प्रा.वि.चितावा जिला नागौर राजस्थान

बनाम

**प्रतिवादी**

1. बलवीरसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी
2. पुष्पा शर्मा पत्नी नन्दलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

**दावा— वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955**

उपस्थित :— श्री भीकमचन्द अधिवक्ता वादी की ओर से।
प्रतिवादी 1 2 3 स्वयं उपस्थित

## निर्णय

दिनॉक :— 26-4-2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 790 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1257/792 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 0.18 हैक्टर जिसके नवीन खसरा नम्बर 1257/792 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.06 हैक्टर खसरा नम्बर 1477/790 रकबा 0.08 हैक्टर स्थित चली आ रही है, तत्कालीन काबिज खातेदार भागीरथसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत निवासी चितावा खसरा नम्बर 790 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1257/792 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 0.18 हैक्टर में से 6250 वर्ग फीट भूमि का दान पत्र दस्तावेज सं. 123/07 दिनॉक 16.01.2007 को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चितावा के पक्ष में करा दिया जाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था, उक्त भूमि के दानदाता भागीरथसिंह का स्वर्गवास हो गया, उक्त भूमि जिसके बाबत दान पत्र किया गया उसका नामान्तरकरण भी दर्ज नही हुआ था, जिसका नामान्तरकरण आवश्यक है, बिनाय दावा राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई, वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जिला नागौर के खसरा नम्बर 790 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1257/792 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 0.18 हैक्टर जिसके नवीन खसरा नम्बर 1257/792 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.06 हैक्टर खसरा नम्बर 1477/790 रकबा 0.08 हैक्टर में से 6250 वर्ग फीट की खातेदारी अधिकारो की घोषणा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चितावा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 2 ग्राम पंचायत चितावा में "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021" के दौरान उपस्थित आये, जिन्होने लिखित स्वरूप राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चितावा के नाम दर्ज की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी सं. 3 उपस्थित आये जिन्होने कोई जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा।

दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबंदी नकल वर्ष 2005 ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 790 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 1257/792 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 0.18 हैक्टर में भागीरथसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत 0.09 सा. देह धनसिंह पुत्र लादूसिंह राजपूत सा. देह 0.09 खातेदार दर्ज है तथा बेचान नामा. 1003/5.8.2006 के स्वीकृत होने पर धनसिंह पुत्र लादूसिंह राजपूत के स्थान पर भागीरथसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत खातेदार दर्ज किया गया, बेचान नामा. सं. 1265 दि. 12.06.2009 के द्वारा भागीरथसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत के द्वाराबेचान से श्रीमति सुमन कंवर पत्नी शेरसिंह राजूपत खसरा नम्बर 1477/790 रकबा 0.08 हैक्टर शेष खसरा नम्बर 790 रकबा 0.06 हैक्टर बदस्तूर अंकन है। चालू जमाबंदी सम्वत 2074–2077 चितावा के खाता सं. 685 खसरा नम्बर 1477/790 रकबा 0.08 हैक्टर पुष्पा शर्मा पत्नी नन्दलाल शर्मा हिस्सा–123/800 जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार सुमन कंवर पत्नी शेरसिंह हिस्सा–677/800 जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज है, खाता सं. 800 खसरा नम्बर 1257/792 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.06 हैक्टर में पुष्पा शर्मा पत्नी नन्दलाल शर्मा हिस्सा–1/4 जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, बलवीरसिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी

भागीरथसिंह हिस्सा 3/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज है। बेचान दस्तावेज सं. 123/07 दिनॉक 16.07.2007 की मूल प्रति अनुसार भागीरथसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत चितावा द्वारा खसरा नम्बर 1257/792 रकबा 0.04 हैक्टर खसरा नम्बर 790 रकबा 0.14 हैक्टर कुल रकबा 0.18 हैक्टर में से 125 X 50 = 6250 वर्ग फीट भूमि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चितावा को दान की गई है।

उभय पक्षकारान को कैम्प चितावा में सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजीनामा का अवलोकन किया गया, सम्बन्धित खातेदारो द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि में से 6250 वर्ग फीट भूमि की खातेदारी राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चितावा के नाम दर्ज की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है इस तथ्य को प्रस्तुत लिखित राजीनामा में स्वीकार किया गया है। दानदाता भागीरथसिंह की मृत्यु होने पर उनके हिस्से की भूमि बलवीरसिंह पुत्र भागीरथसिंह के नाम दर्ज चली आ रही है, अतः उक्त भूमि 6250 वर्ग फीट भूमि खातेदारी बलवरीसिंह के हिस्से में से कम की जानी उचित है, चूॅकि खातेदार पुष्पा शर्मा संयुक्त खातेदार है जिसके हिस्से में 0.0250 हैक्टर भूमि ही दर्ज है तथा संयुक्त खातेदार होने की वजह से इन्होने सहमति प्रदान की है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा काबिल स्वीकार होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

## निर्णय

ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 1257/792 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 0.10 हैक्टर में से 6250 वर्ग फीट अर्थात 580.6440 वर्ग मीटर भूमि खातेदार बलवीरसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत चितावा के हिस्सें में से कम करते हुए राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चितावा तहसील कुचामनसिटी को खातेदार घोषित किया जाता है शेष खाता बदस्तूर रहेगा, उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 26/4/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

## डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

## अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट** (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 93/2021 **RCMS 2021/379**

**वादी**

1. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चितावा तहसील कुचामनसिटी जरिये बजरंगलाल जांगिड़ प्रधानाध्यापक रा.बा.उ.प्रा.वि.चितावा जिला नागौर राजस्थान

बनाम

**प्रतिवादी**

1. बलवीरसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी
2. पुष्पा शर्मा पत्नी नन्दलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

**दावा– वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री भीकमचन्द अधिवक्ता हाजिरी ................... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री ................................ मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 1257/792 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 0.10 हैक्टर में से 6250 वर्ग फीट अर्थात 580.6440 वर्ग मीटर भूमि खातेदार बलवीरसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत चितावा के हिस्सें में से कम करते हुए राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चितावा तहसील कुचामनसिटी को खातेदार घोषित किया जाता है शेष खाता बदस्तूर रहेगा, उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज ........................... मुबलिग ........ बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ............. का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 4 सन् 2022 को जारी की गई।

दस्तखत (signature)

ओहदा उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

| मुदई | रूपयें | पैसे | मुदायलय | रूपयें | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालात नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकिल | | |
| महन्ताना वकिल | | | खर्चा गवाहन | | |
| खर्चा गवाहन | | | फिस कमिश्नर | | |
| फिस कमिश्नर | | | बबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक / राजस्व / 2021 / 89 दिनॉकः– 26/4/2022

प्रेषित :– तहसीलदार

कुचामनसिटी

विशय :– राजस्व प्रकरण वाद सं. 93 / 2021 **RCMS 2021/379** राजकीय बालिका उच्च प्रा.वि. चितावा बनाम बलवीरसिंह वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विशयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय राजस्व प्रकरण वाद सं. 93 / 2021 **RCMS 2021/379** राजकीय बालिका उच्च प्रा.वि. चितावा बनाम बलवीरसिंह वगैरह में पारित डिक्री आदेश की प्रति भिजवाई जा रही है, मुताबिक डिक्री राजस्व रेकार्ड अमल दरामद करते हुए पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी ( नागौर )